उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–7
संख्या– 1981/अड़तीस–7–14–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए/2012
लखनऊः दिनांक :18 सितम्बर, 2014

अधिसूचना संख्या– 1981/अड़तीस–7–2014–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए/2012, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली 2014(अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी एवं विधि परामर्शी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
(10) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(11) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 एवं वित्त(आय–व्यय) अनुभाग–1
(12) नियोजन अनुभाग–1/विधायी अनुभाग–1
(13) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की दो सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित कराकर(मुख पत्र सहित) अधिसूचना की 3000 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(14) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–7
संख्या–1981 अड़तीस–7–2014–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए/2012
लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

चूंकि सरकारी अधिसूचना संख्या–1172/अड़तीस–7–2014–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए/2012 दिनांकः 21 मई, 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या–42 सन् 2005) की धारा–32 की उप–धारा(1) के अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014 के संबंध में संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिये और आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिये जारी किया गया था;

और चूंकि नियत समय के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा(2) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम

1– (1) यह नियमावली **उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014 कही जायेगी।**

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 42 सन् 2005) से है ;

(ख) ''दिवस'' का तात्पर्य किसी कार्य दिवस से है ;

(ग) ''वित्तीय वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता

3– (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत हो और उसके पास राज्य स्कीम के अधीन वैध जाब कार्ड हो और उसने अधिनियम के अधीन मजदूरी सम्बन्धी रोजगार की चाहत रखते हुए ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हो और उसे रोजगार की अपेक्षा सम्बन्धी आवेदन पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार न प्रदान किया गया है, वह वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिन के लिए प्रचलित मजदूरी दर के एक चौथाई भाग और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रचलित मजदूरी दर के आधे भाग के

बराबर की दर से दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

रोजगारी भत्ता स्वीकृत एवं दान करने हेतु प्राधिकारी

4— संदेय बेरोजगारी भत्ता जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगा।

रोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रकिया

5— (क) बेरोजगारी भत्ते का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसे भत्ते के लिए पात्र होने के दिनांक को इस नियमावली के अधीन प्रपत्र संख्या–1 में ग्राम पंचायत के समक्ष बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षा करते हुए आवेदन करेगा।

(ख) प्रपत्र–4 में रोजगार की अपेक्षा करने वाले आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते समय अधिनियम के अधीन प्रपत्र 5 में प्राप्त की गयी पावती की एक प्रति उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

(ग) उक्त आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर ग्राम पंचायत आवश्यक जांच करेगी और यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन पंजीकृत है और उसके पास जाब कार्ड है तथा वह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए हकदार है तो वह आवेदन पत्र को अपनी अभ्युक्ति के साथ दो दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(घ) खण्ड ग के अधीन ग्राम पंचायत से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन रोजगार के लिए पंजीकृत है और वह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए हकदार है, तो कार्यक्रम अधिकारी को तीन दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष समस्त दावों को संस्तुति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सत्यापन अधिकारी का उत्तरदायित्व सुस्पष्ट है।

(ड.) जिला कार्यक्रम समन्वयक दावे की वैधता और उसके सम्बन्ध में किये गये सत्यापन से अपना समाधान कर लेने के उपरान्त इस नियम के अधीन प्रपत्र संख्या 2 में उस आशय का एक आदेश जारी करेगा जिसमें वह अवधि इंगित होगी जब तक के लिए बेरोजगारी भत्ता देय है और अपने आदेश के अनुसार युक्तियुक्त समय के भीतर बैंक या डाक घर के माध्यम से आवेदक के खाते में भुगतान करेगा।

(च) जिला कार्यक्रम समन्वयक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिन के लिए प्रचलित मजदूरी दर के एक चौथाई भाग और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रचलित मजदूरी दर के आधे भाग के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा।

(छः) जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ पृथक रुप से रक्षित धनराशि में से अपेक्षित व्ययो की पूर्ति करेगा।

(ज) यदि जिला कार्यक्रम समन्वयक बेरोजगारी भत्ते की मांग को अस्वीकृत कर देता है तो वह उसके अस्वीकृत किये जाने के कारण को अभिलिखित करेगा और नियमावली के अधीन प्रपत्र 3 में आवेदक को सूचित करेगा। कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र पर उसकी प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

(झ) जिला कार्यक्रम समन्वयक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

(ञ) जिला कार्यक्रम समन्वयक पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करते

समय केवल पाने वाले के खाते में देय चेक (अकाउन्ट पेयी चेक) के माध्यम से ही भुगतान करेगा।

(ट) भुगतान के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के संबंध में एम0आई0एस0 और जाब कार्ड में प्रविष्टि करेगा।

(ठ) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रपत्र 4 में एक रजिस्टर रखा जाएगा।

ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

6— यदि ग्राम पंचायत आवेदक को उसके आवेदन पत्र के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को पर्याप्त समय के भीतर अग्रिम रुप से अवगत करायेगी ताकि कार्यक्रम अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकने में समर्थ हो सकें।

(2) बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर ग्राम पंचायत आवेदक को अनुमति प्रदान करेगा कि वह अपने रोजगार के साक्ष्य के रुप में उक्त प्रयोजन के लिए खोले गये रजिस्टर या शीट में दैनिक उपस्थित कर दर्ज करे।

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र आदि स्वीकार न करने पर प्रकिया

7— (1) कोई आवेदक पर्याप्त साक्ष्य के साथ अपना आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष इस आशय से सीधे प्रस्तुत कर सकता है कि ग्राम पंचायत ने रोजगार भत्ते हेतु उसके आवेदन पत्र पर विचार करने से इंकार कर दिया है और अधिनियम के अधीन रोजगार हेतु मूल आवेदन पत्र को अभिस्वीकृत नहीं किया है।

(2) उप धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर कार्यक्रम अधिकारी सम्यक् जांच और अंपना समाधान करने के उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को इस तथ्य के होते हुए भी कि आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं भेजा गया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बेरोजगारी भत्ते का बन्द कर दिया जाना

8— (1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जायेगा जैसे ही—

(क) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्देशित किया जाय कि वह कार्य के बारे में या तो स्वंय रिपोर्ट करे या उसके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रिपोर्ट करने के लिए प्रतिनियुक्त करे ; या

(ख) जिस अवधि के लिए रोजगार चाहा गया है वह समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए उपस्थित नहीं हुआ है ; या

(ग) आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्य वित्तीय वर्ष के भीतर कम से कम कुल सौ दिन का कार्य प्राप्त कर लें ; या

(घ) आवेदक का परिवार मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते से कुल मिला कर उतना अर्जित कर चुका है जो वित्तीय वर्ष के दौरान सौ दिन के कार्य के बराबर हो।

बेरोजगारी भत्ता का दावा करने के सम्बन्ध में अपात्रता

9— (1) यदि मानव नियन्त्रण से परे परिस्थितियों, यथा वृष्टि या असामान्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ रहती है (अर्थात् कार्यक्रम अधिकारी ऐसा पत्र जारी करने में असमर्थ रहता है जिसके द्वारा रोजगार चाहने वाले को किसी कार्य के लिए निर्देशित किया गया हो या कार्यान्वयन अभिकरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशित व्यक्तियों को आमेलित करने या कार्य का दायित्व लेने या उसे जारी रखने में असमर्थ रहता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का राज्य

सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

(2) कोई आवेदक जो–

(क) किसी स्कीम के अधीन अपने परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार को स्वीकार नहीं करता है;

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है ;

(ग) सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ;

(घ) अधिनियम के अधीन संदेय, बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के लिए इस नियम के अधीन अपेक्षित पात्रता सम्बन्धी शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे पहले ही से सरोजगार होते हुए बेरोजगारी भत्ते का दावा करते हुए और जो स्वीकार करते हुए पाया जाय वह बेरोजगारी भत्ते का दावा करने और उसे स्वीकार करते हुए पाये जाने के अंतिम दिन से 03 माह की अवधि तक बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा ;

(4) यदि किसी भी समय ग्राम पंचायत का यहां समाधान हो जाये कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या सूचना उपलब्ध कराकर अपना नाम पंजीकृत कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी से निवेदन कर सकती है कि वह सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके नाम को हटाने के लिए निर्देश प्रदान करे।

(5) यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राज्य बेरोजगारी भत्ता के अधीन तात्पर्यित भत्ता प्राप्त किया है तो उसका दावा नामंजूर कर दिया जायेगा।

कतिपय परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ते का संवितरण न करना।

10– (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेरोजगारी भत्ते का समय पर या बिलकुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है तो वह राज्य सरकार को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पटट पर, कार्यक्रम अधिकारी के सूचना पटट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिसे वह आवश्यक समझे, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए और राज्य सरकार यथाशीघ्र बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु सभी उपाय करेगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक के उत्तरदायित्व

11– (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर बेरोजगारी भत्ते के संवितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि कोई भी आवेदक राज्य की विभिन्न बेरोजगारी भत्ते सम्बन्धी स्कीमों, यथा शिक्षित व्यक्तियों आदि के लिए बेरोजगारी भत्ते, के अधीन दोहरा लाभ न प्राप्त करें।

(3) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि बेरोजगारी भत्ते का सृजन प्रामाणिक नहीं था तो वह अधिनियम की धारा 90 छ के अधीन प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत और

कार्यकम अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

12– राज्य सरकार प्रबन्ध सूचना पद्धति, और बेरोजगारी भत्ते की वार्षिक रिपोर्ट विहित कर सकती है और बेरोजगारी भत्ता रिपोर्ट को राज्य नियोजन गारंटी परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

Singh

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

2/2
1/9/14

प्रपत्र संख्या–1

(नियम 5 (क) देखिए)

बेरोजगारी गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पत्र

1.	नामः–		
2.	पताः–		
3.	लिंगः–		
4.	आयुः–		
5.	पंजीकरण संख्याः–		
6.	पंजीकरण का दिनांकः–		
7.	दिनांक जब रोजगार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और जिसको प्रस्तुत किया गया।		
8.	दिनों की संख्या जब तक के लिए बेरोजगारी भत्तों का दावा किया गया है।		
9.	उस अवधि के प्रारम्भ होने का दिनांक जिसके लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा किया गया है।		

मैं ..... निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उस अवधि में जिसके लिए इस आवेदन पत्र में बेरोजगारी भत्ते का दावा कर रहा हूँ, कहीं भी नियोजित नहीं था और यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त अवधि या उसके किसी भाग के दौरान में

नियोजित था तो मैं एतद्द्वारा उक्त अवधि के लिए प्राप्त बेरोजगारी भत्ते की धनराशि सरकार को वापस करने का वचन देता हूँ।

दिनांकः .....

आवेदन के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रपत्र संख्या–2

(नियम 5 (ड.) देखिए)

जिला कार्यकम समन्वयक के आदेश, जिसमें वह अवधि इंगित है, जिसके लिए बेरोजगारी भत्ता देय है।

संख्या.....

सेवा में,
पंजीयजन अधिकारी
ग्राम.....
पंचायत समिति

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पंजीकरण संख्या .. .. निवासी ग्राम ..... को ..... से ..... तक की अवधि के लिए रुपये ..... (रूपये ..... केवल) की धनराशि बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए स्वीकृत की जाती है।

स्थान .....

दिनांक .....

पंचायत समिति / तहसील .....

कार्यकम अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... ग्राम.....
..... को बेरोजगारी भत्ते के लिए उनके पत्र दिनांक .....
... के सन्दर्भ में प्रेषित।

प्रपत्र संख्या–3

(नियम 5 (ज) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थना पत्र के नामंजूर किये जाने के संबंध में सूचना

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी .....
पंजीकरण संख्या .....
ग्राम .....
पंचायत समिति .....

सन्दर्भः— बेरोजगारी भत्ता के लिए आपका आवेदन पत्र दिनांकः .... दिनांक से ..... तक की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते हेतु आपका दावा निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया जाता हैः—

.....
.....
.....

स्थान .....
दिनांक .....
पंचायत समिति / तहसील

कार्यकम अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–4

(नियम 5 (झ) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते का संवितरण सम्बन्धी रजिस्टर–

क्रमांक	रोजगार चाहने वाले का नाम	पंजीकरण संख्या	बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	अवधि जब तक के लिए स्वीकृत किया गया है	धनराशि	भुगतान का दिनांक	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम और उसके हस्ताक्षर	पंजीयन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रपत्र संख्या–5

(नियम 5 (ख) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते हेतु अभिस्वीकृति

श्री ..... पुत्र .....

ग्राम ..... से प्रपत्र संख्या 1 में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया गया ।

प्रधान/पंचायत सचिव
के हस्ताक्षर

UTTAR PRADESH SHASAN
GRAMYA VIKAS ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1981/XXXVIII-7-2014-153NREGA/2012 dated 18-09-2014.

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
No. 1981 /XXXVIII-7-2014-153MGNREGA/2012
Lucknow: Dated: 18-09-2014

Whereas Government notification no. 1172/ XXXVIII-7-2014-153MGNREGA/2012 dated May 21,2014 was issued for the information of the persons concerned and for inviting objections and suggestions in regard to the THE UTTAR PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (UNEMPLOYMENT ALLOWANCE) RULES, 2014 as required under sub-section(1) of section 32 of the said Act.

And whereas no objection or suggestions has been received within the stipulated time;

Now, Therefore, in exercise of the powers under clause(d) of sub-section 32 of aforesaid Act the Governor is pleased to make the following rules.

THE UTTAR PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE(UNEMPLOYMENT ALLOWANCE) RULES, 2014

Short title

1. (1) These rules may be called as THE UTTAR PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE(UNEMPLOYMENT ALLOWANCE) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires:-
(a) 'Act' means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005(Act no. 42 of 2005).
(b) 'Day' means a working day.
(c) 'Financial Years' means: the period of twelve months commencing on the first day of April of a calender year.

Eligibility to receive Unemployment Allowance

3.(1) A person who is registered and having a valid job card under the State scheme under sub- section(1) of section 4 of the Act and who has given an

application to Gram Panchayat or the Programme Officer asking for wage employment under the Act and is not provided employment within fifteen days of receipt of the application seeking employment shall be entitled to a daily unemployment allowance at the rate equal to one-fourth of the prevailing wage rate for the first 30 days during the financial year and one half of the prevailing wage rate for the remaining period of financial year.

Authority for sanctioning and paying the Unemployment Allowance

4. The unemployment allowance payable shall be sanctioned and disbursed by the District Programme Co-ordinator.

Procedure for Payment of Unemployment Allowance

5. **(a)** A person claiming unemployment allowance shall make an application in Form No.1under these rules to the Gram Panchayat seeking unemployment allowance on the day after he becomes eligible for claiming such allowance

(b) A copy of the acknowledgement in Form No.5 under the Act received while handling over the application seeking employment in Form.4 under the Act shall be attached to the said application.

(c) The Gram Panchayat on receipt of the said application shall make necessary enquiries and if satisfied that the applicant is registered under the scheme and has job card and is entitled for payment of unemployment allowance he shall forward within two days the application to the Programme Officer along with his remarks.

(d) On receipt of the report from the Gram Panchayat clause (c) Programme Officer shall make necessary enquiries and if he is satisfied that applicant is registered for employment under the Scheme and is entitled for payment of unemployment allowance. The Programme officer should submit all the claims to the District Programme Co-ordinater along with a recommendation for payment of unemployment allowance within three days. The responsibility of the verifying officer is unequivocal.

(e) The District Programme Co-ordinater upon satisfying himself of the legitimacy of the claim and verification done thereof, will issue an order to that effect in Form No.2 under this rule indicating the period for which the unemployment allowance is payable and shall make payment, as per his order, through bank or post office to the account of the applicant in reasonable time.

(f) The District Programme Co-ordinater shall pay the amount equivalent to one fourth of the prevailing wage rate for the first 30 days during the financial year and one half of the prevailing wage rate for the remaining period of financial year.

(g) The District Programme Co-ordinater will meet the required expenses from the amount earmarked for the purpose by the State Government.

(h) If the District Programme Co-ordinater rejects the demand for unemployment allowance, he shall record the reason for rejecting the same and intimate the applicant in Form No.3 under the rules. As far as possible, the Programme Officer shall decide the application for unemployment allowance within ten days of its receipt.

(i) District Programme Co-ordinater shall maintain a separate bank account with Additional District Programme Co-ordinater for unemployment allowance.

(j) The District Programme Co-ordinater making payment of unemployment allowance to eligible applicants shall do so solely through an account payee cheque.

(k) After payment the Programme officer shall make entry in MIS and in the Job Card in respect of payment of unemployment allowance.

(l) A register shall be maintained in Form – 4 by the village Panchayat and Programme officer.

Respon-sibility of Gram Panchayat

6. (1) The Gram Panchayat shall bring to notice of the Programme Officer, sufficiently in advance, if it is not in a position to provide employment to the applicant within fifteen days of his or her application, so as to enable the Programme Officer to make alternate arrangements.

(2) On receipt of the application for unemployment allowance the Gram Panchayat shall allow the applicant to record his daily attendance in a register or sheet opened for that purpose as evidence of his unemployment.

Procedure on failure of Gram Panchayat to accept application etc

7. (1) An applicant may submit his application to the Programme Officer directly, along with sufficient evidence that the Gram Panchayat has refused to entertain his application for unemployment allowance or not acknowledged his original application for employment under the Act.

(2) On receipt of application under sub-rule(1) the Programme Officer after due enquiry and satisfaction submit his report to the District Programme Co-ordinater not withstanding the fact that the application has not been routed through the Gram Panchayat.

Cessation of unemployme nt allowance

8. (1) The liability of the State Government to pay unemployment allowance to a household during any financial year shall cease as soon as -

(a) the applicant is directed by Gram Panchayat or Programme Officer to report for work either by himself or depute at least one adult member of his household; or

(b) the period for which employment is sought comes to an end and no member of the household of the applicant had turned up for employment. or

(c) the adult members of the household of the applicant have received in total at least one hundred days of work within the financial year;or

(d) the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for one hundred days or work during the financial year.

Ineligibility for claiming unemploy ment allowance

9. (1) If, owing to circumstances beyond human control like rains or unusual natural calamities, the State Government is uable to provide employment (i.e. the Programme Officer being unable to issue the letter directing the employment seeker to a work or the Implementing agency being unable to absorb the persons directed by the Programme Officer or to take up or continue the work) there shall be no liability on the part of the State Government to pay unemployment allowance.

(2) An applicant who-

(a) does not accept the employment provided to his household under a scheme;

(b) does not report for the work within 15 days of being notified by the Programme Officer or implementing agency to report for the work;

(c) continuously remains absent from work, without obtaining a permission from the concerned implementing agency for a period of more than one week or remains absent for a total period of more than one week in a month;

(d) does not fulfill the eligibility conditions required under this rule to claim the unemployment allowance payable under the Act;

(3) Any person who is found to have claimed and accepted unemployment allowance while already having an employment shall not be entitled to unemployment allowance for a period of 3 months from the last day on which he is so found to have claimed and accepted unemployment allowance;

(4) If village Panchayat is satisfied at any time that a person has registered his/her name by furnishing false information, it may request the Programme officer to direct his name to be deleted after giving due opportunity to explain;

(5) The applicant's claim shall be rejected in case he is found to have received allowance under state unemployment allowance meant for literate unemployed persons;

Non disbursement of Unemployment Allowance in certain circumstances

10.(1) If the Programme Officer is not in a position to disburse the unemployment allowance in time or at all for any reason beyond his control, he shall report the matter to the State Government and announce such reasons in a notice to be displayed on his, Programme officer's and Gram Panchayat's notice board and other conspicuous places as he may deem necessary.

(2) The District Programme Co-ordinator should report such cases to the State Government and the State Government shall take all measures to make payment of unemployment allowance as expeditiously as possible.

Responsi-bility of District Programme Co-ordinator

11.(1) The District Programme Co-ordinator shall be responsible for disbursement of unemployment allowance at district level.

(2) He/she shall ensure that no applicant should get double benefit under State's different unemployment allowance schemes like unemployment allowance for literate persons etc.

(3) He shall take necessary action against Pradhan under Section 90-G of the Act, Secretary Grame Panchayat and Programme officer in case he satisfied that generation of unemployment allowance was not genuine.

Annual Report

12- The State Government may prescribe the Managment Information System(MIS) and the annual report of unemployment allowance and take necessary steps to incorporate unemployment allowance reports in the annual report of the State Employment Guarantee Council.

Singh

(Arun Singhal)
Principal Secretary

FORM NO. 1
(See Rule 5(a)

Application for unemployment allowance under the Employment Guarantee Scheme

1. Name .....
2. Address .....
3. Sex .....
4. Age .....
5. Registration No. .....
6. Date of Registration .....
7. Date on which application for employment was handed over and to whom it was handed over .....
8. No. of days for which unemployment allowance is claimed
9. Date of the beginning of the period for which unemployment allowance is claimed.

I..... resident of ..... hereby declare solemnly that I was not employed anywhere for the period for which I am claiming unemployment allowance in this application and hereby undertake to refund to Government the amount of unemployment allowance received for the period. If it is proved subsequently that I was employed during that period or a portion thereof.

Date.....

Signature/Thumb impression of applicant

FORM NO. 2
(See Rule 5(E)

Order of the District Programme Coordinator indicating the period for which the unemployment is payable

No.....

To,

Registering Authority,
Village .....
Panchayat Samiti.....

Sanction is accorded to the payment of unemployment allowance amounting Rs..... (Rs.....only)to Shri/Smt /Kumari..... Registration No ..... Resident of village ..... for the period from .....to .....

Signature of Programme Officer

Place .....
Date .....
Panchayat Samiti/Tahsil

copy to Shri/Smt./Kumari .....village..... with reference to his/her application ..... dated ..... for unemployment allowance.

FORM NO. 3
(See Rule 5(h)

Intimation regarding rejection of application for unemployment allowance under the Employment Guarantee Scheme

To,

Shri/Smt./Kumari.....
Registration No .....
Village .....
Panchayat Samiti .....

Reference :- Your application dated ..... for unempolyment allowance.

Your claim for umemployment allowance for the period from ..... to ..... is rejected for the following reason :-

.....
.....
.....

Signature of Programme Officer

Place .....
Date .....
Panchayat Samiti/Tahsil.....

FORM NO. 4
(See Rule 5(l)

Register of disbursement of unemployment allowance under the Employment Guarantee Scheme

Sl No.	Name of the employment seeker	Registration No.	No and date of order sanction unemployment allowance	Period for which sanctioned	Amount	Date of Payment	Signature of recipient	Name and signature of witness	Signature of Registering Authority
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

FORM NO. 5
(See Rule-(5)

Acknowledgement for Unemployment allowance under the Employment Guarantee Scheme

An application in form no-1 has been received from Sri ..... s/o ..... village.....for seeking unemployment allowance.

signature of Pradhan/Panchayat Secretary